फोर्ड को वापस भारत लाए स्टालिन

फोर्ड कम्पनी चेन्नई के अपने प्लांट को फिर से शुरु करेगी

- फोर्ड कम्पनी ने अगस्त 2021 में चेन्नई में अपना प्लांट बंद कर दिया था और सितम्बर 2021 में भारत छोड़ दिया था।
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन राज्य के लिए निवेश जुटाने हेतु अमेरिका गए थे, उन्होंने कम्पनी से प्लांट पुनः शुरु करने का आग्रह किया था।
- फोर्ड कम्पनी ने स्टालिन की बात मानकर राज्य सरकार को इस बारे में ''लैटर ऑफ इन्टैंट'' भी दे दिया है। इस प्लांट में बनी कारें विदेशों में बेची जाएंगी।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 सितम्बर। भारत से जाने के दो साल बाद, अमेरिका की ऑटोमोबाइल कम्पनी फोर्ड भारत लौट रही है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान फोर्ड को राज्य में आने के लिए मनाया। तमिलनाडु पहले से ही भारत का ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग केन्द्र है। और अब फोर्ड भी यहाँ अपना प्लांट लगाएगी, यहाँ बने वाहन विदेशी बाजार में बेचे जाएंगे। भारत और तमिलनाडु में ऑपरेशनल लागत कम आती है। इसलिए अमेरिकन कम्पनी ने चेन्नई में अपनी फैक्ट्री पुनः शुरु करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया। फोर्ड कम्पनी ने सितम्बर 2021 में भारत छोड़ दिया था।

कम्पनी ने अगस्त 2021 में अपनी मराईमलाई नगर फैक्ट्री में उत्पादन बंद कर दिया था। लेकिन आज के हार्ट, जो कि फोर्ड के इंटरनैशनल मार्केट ग्रुप के अध्यक्ष हैं, ने कहा कि कम्पनी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को ''लैटर ऑफ इन्टैंट'' दे दिया है। स्टालिन अमेरिका यात्रा के दौरान फोर्ड के मुख्यालय गए थे, वहाँ उन्होंने मैनेजमैंट से तमिलनाडु में उत्पादन पुनः शुरु करने को कहा था।

हार्ट ने कहा, मैं यह बताते हुए बहुत प्रसन्न हूं कि हमने तमिलनाडु सरकार को लैटर ऑफ इटैंट दे दिया है। हम अपने चेन्नई प्लांट में निर्यात के लिए निर्माण शुरु करना चाहते हैं। जल्दी ही मराईमलाई नगर फैक्ट्री का आधुनिकीरण किया जाएगा।

हार्ट ने कहा, हम तमिलनाडु सरकार के सहयोग के आभारी हैं, क्योंकि हमने चेन्नई प्लांट के लिए कई विकल्पों पर विचार किया था। यह फैसला भारत के प्रति हमारी वचनबद्धता को रेखांकित करता है। हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरत पूरी करने के लिए तमिलनाडु में हमारे प्लांट का उपयोग करेंगे। कम्पनी अगले तीन साल में ढाई से तीन हजार लोगों को नौकरी देगी।

21 सितम्बर को प्र.मंत्री मोदी की मेज़बानी करेंगे बाइडन

वॉशिंगटन/नयी दिल्ली, 12 सितंबर (वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन 21 सितंबर को विलमिंगटन, डेलावेयर में चौथे व्यक्तिगत क्वॉड लीडर्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। वाइट हाउस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

वाइट हाउस ने बताया कि बाइडन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

वाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि यह बाइडन का राष्ट्रपति के रूप में विलमिंगटन में विदेशी नेताओं की मेजबानी करने का पहला मौका होगा। बयान में कहा गया है कि यह क्वाड के प्रत्येक नेता के साथ उनके गहरे व्यक्तिगत संबंधों और हमारे सभी देशों के लिए क्वाड के महत्व का प्रतिबिंब है।

लद्दाख में चार जगहों से लौटी चीन की सेना

चीन ने यह टिप्पणी जिनेवा में गत गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दिये गये बयान के ठीक अगले दिन जारी की

नई दिल्ली, 13 सितम्बर। पूर्वी लद्दाख में चल रहा भारत-चीन सीमा विवाद सुलझता हुआ नजर आ रहा है। चीन की तरफ से कहा गया है कि उसने अपनी सेना को पूर्वी लद्दाख की चार जगहों से पीछे हटा लिया है। चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स सदस्य देशों में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च-स्तरीय अधिकारियों की बैठक से अलग बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दों पर हाल के विचार-विमर्श में हुई प्रगति पर चर्चा की।

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि दोनों सेनाओं ने चार क्षेत्रों से वापसी की है और सीमा पर स्थिति स्थिर है। हाल के वर्षों में, दोनों देशों की अग्रिम मोर्चे पर तैनात सेनाओं ने चीन-भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में चार बिंदुओ से पीछे हटने का काम पूरा कर लिया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीन-भारत सीमा पर स्थिति आम तौर पर स्थिर और नियंत्रण में है।

चीनी विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जिनेवा में दिए गए बयान के एक दिन बाद आई है। जयशंकर ने कहा था कि चीन के साथ 'सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याओं' का लगभग 75 प्रतिशत समाधान हो गया है, लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता सैन्यीकरण है।

डोभाल और वांग के बीच हुई बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने यह विश्वास व्यक्त किया था।

2017 में ई.आर.सी.पी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को हैण्डल किया गया, और पूरे प्रौजेक्ट को टुकड़ों में बांटने का निर्णय लिया गया, पर सारा काम एक ही कम्पनी को देने का निर्णय लिया गया, ऐसा लग रहा था कि इस सबके पीछे स्पष्ट रूप से कोई अदृश्य हाथ था, जो समस्त प्रक्रिया को अंजाम दे रहा था।

यह निर्णय अधिकारिक रूप से नहीं लिया गया था कि कितने टुकड़े किए जाएंगे और विभिन्न पैकेज पर काम कब शुरू होगा।

रोचक बात है कि जून 2023 में टैंडर जारी किए गए। पहला टैंडर 2066 करोड़ रूपये का था, दूसरा 1807 करोड़ रुपये और तीसरा 3913 करोड़ रुपये के लिए।

इसी समय जल जीवन मिशन के लिए भी टैंडर जारी किए गए, जहाँ बाद में बहुत सी अनियमितताएं सामने आई और वर्तमान में इसकी जाँच जारी है।

आश्चर्य की बात यह है कि एल. एण्ड टी. जैसी बड़ी कंपनियों ने ई.आर.सी.पी. टैंडरों के लिए बोली नहीं लगाई। केवल दो कंपनियों, मेघा इंजिनियरिंग और रामकी इन्फ्रा ने बोली लगाई। दोनों कंपनियाँ तेलंगाना की थीं और दोनों ने ऊपरी सीमा पर बोली लगाई जो कि काम के अनुमानित बजट से बहुत अधिक थी। लेकिन फिर भी मेघा इंजिनियरिंग की बोली को स्वीकार किया गया जो कि अजीब था। क्या सरकार में, नेताओं, ब्यूरोक्रैट्स तथा संबंधित कंपनियों के साथ सांठ-गांठ में कोई सुनियोजित कार्टल काम कर रहा था?

रामकी इन्फ्रा जैसी पुरानी और अनुभवी कंपनी एक भी टैंडर नहीं जीत पाई, यह एक अचरज की बात थी।

क्या रेट फिक्स करने के लिए और यह सुनिचित करने के लिए कि मेघा इस रेस में सबसे आगे रहे, बोलियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। सूत्रों के अनुसार, इसे मुख्यमंत्री की मदद व आशीर्वाद प्राप्त था।

चारागाह भूमि ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि लोटवाडा की करीब पांच बीघा से अधिक चारागाह भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर दुकानें बना ली हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं राजस्व विभाग के परिपत्रों के अनुसार, चारागाह भूमि को अन्य किसी उपयोग में नहीं लिया जा सकता। स्थानीय लोगों ने कलेक्टर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि वर्ष 2021 में तहसीलदार ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों को बेदखल होने का आदेश दिया था। लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। हाईकोर्ट ने गत पांच अगस्त को तहसीलदार को चार सप्ताह में अतिक्रमण को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन अब तक रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई। वहीं, अब बताया जा रहा है कि सरकारी वकील के स्थान पर अतिरिक्त महाधिवक्ता इस प्रकरण में पैरवी करेंगे। इस पर अदालत ने अदालती आदेश की पालना करने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट पेश नहीं करने पर तहसीलदार को पेश होने को कहा है।

हैरिस के साथ अब किसी प्रेसिडैंशियल डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे ट्रम्प

दूसरी ओर कमला हैरिस ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प को एक और डिबेट में आमना-सामना करने की चुनौती दी

- पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि पिछली डिबेट में उनकी जीत हुई है।
- ट्रम्प और हैरिस के बीच गत गुरुवार को ए.बी.सी. न्यूज़ ने पहली डिबेट आयोजित की। डिबेट के बाद किये गये सी.एन.एन. (न्यूज़ चैनल) सर्वेक्षण के अनुसार 63 प्रतिशत लोग इस बात से सहमत थे कि कमला हैरिस ने इस डिबेट में बेहतर प्रदर्शन किया है।
- फॉक्स न्यूज़ के अनुसार, एक पैनल के 12 मतदाताओं का मानना था कि हैरिस ने डिबेट जीती, जबकि पांच ने माना कि ट्रम्प जीते।

वॉशिंगटन, 13 सितंबर (वार्ता)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डॉनल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को कहा कि वे डैमोक्रेटिक उम्मीदवार एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ अब राष्ट्रपति पद की किसी बहस (प्रेसिडेंशियल डिबेट) में शामिल नहीं होंगे।

ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने मंगलवार रात फिलाडेल्फिया में ए.बी.सी. न्यूज द्वारा आयोजित प्रेसिडेंशियल डिबेट में जीत हासिल की है और हैरिस पर फॉक्स न्यूज, एनबीसी न्यूज और सीबीएस न्यूज से बहस के निमंत्रण को अस्वीकार करने का आरोप लगाया।

हैरिस ने गुरुवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'मतदाताओं के प्रति हमारा दायित्व है कि हम एक और बहस करें।'

दोनों के बीच पहली डिबेट में भी सुश्री हैरिस की अभियान टीम ने जीत का दावा किया। उनकी टीम की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, उपराष्ट्रपति ने अमेरिकी लोगों के हित से जुड़े हर मुद्दे पर मंच पर बाजी मार ली।

सी.एन.एन. सर्वेक्षण के अनुसार, बहस देखने वाले 63 प्रतिशत लोग इस बात से सहमत थे कि सुश्री हैरिस ने फिलाडेल्फिया में मंच पर बेहतर प्रदर्शन किया। फॉक्स न्यूज के अनुसार, एक पैनल के 12 मतदाताओं का मानना था कि सुश्री हैरिस ने बहस जीती, जबकि पांच ने माना कि ट्रम्प जीते। कई लोगों ने कहा कि ट्रम्प को नहीं पता कि राष्ट्रपति पद की दौड़ में अपने नए प्रतिद्वंद्वी पर कैसे हमला करना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में कहा गया कि बहस के बाद, कई डेमोक्रेटिक रणनीतिकारों और अधिकारियों ने सुश्री हैरिस के प्रदर्शन की सराहना की, जबकि रिपब्लिकन ने प्रस्तोताओं के प्रश्नों की गंभीरता के बारे में शिकायत की और स्वीकार किया कि ट्रम्प ने जोरदार हमले करने के अवसर छोड़ दिये।

जम्मूः मुठभेड़ में सेना के चार जवान घायल हुये

जम्मू, 13 सितंबर (वार्ता)। जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के सुदूरवर्ती इलाके में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड हुई जिसमें चार जवान घायल हो गये। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर, जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ किश्तवाड़ के चटरू इलाके में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। अपराह्न 1530 बजे आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया गया। इस मुठभेड़ में सेना के चार जवान घायल हो गए। ऑपरेशन जारी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में नैदघाम गांव के ऊपरी इलाकों में पिंगनल दुगड्डा वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने तलाश और खोज अभियान शुरू किया था। इसी दौरान आतंकवादियों से उनकी मुठभेड़ हो गयी। दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई। इससे पहले आज तड़के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों के भागने के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से गोला-बारुद बरामद किया।

निवेश आकर्षित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुलाकात की। समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने जापान में तकनीकी नवाचारों की शुरुआत करने में अप्रवासी राजस्थानी समुदाय की भूमिका के बारे में प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि अप्रवासी राजस्थानी अपनी माटी में भी नए व्यवसाय लगाने का प्रयास करें।

''राइज़िंग राजस्थान'' ग्लोबल इन्वैस्टमेंट समिट 2024 के बारे में बात करते हुए, ओसाका-कोबे में भारत के महावाणिज्यदूत चंद्रू अप्पार ने कहा, ''मैं रोड शो को मिले जबरदस्त समर्थन को देखकर बेहद खुश हूं।''

ओसाका निवेशकों का रोड शो ओसाका-कोबे में भारत के महावाणिज्यदूतावास और जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसके साथ ही, ''राइज़िंग राजस्थान'' ग्लोबल इन्वैस्टमेंट 2024 के लिए इन्वैस्टर्स मीट और आउटरीच का पांच दिवसीय दक्षिण कोरिया-जापान चरण आज समाप्त हो गया और राजस्थान सरकार का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अब वापस राज्य के लिए रवाना हो गया है।

आपके खिलाफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मेहनत करने वाले समाज को भरोदा दिलासा हूँ कि यदि आपके समाज के हित के खिलाफ कोई साजिश रचेगा या कोई आंख उठाकर देखेगा तो मैं आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहूंगा।

पूर्व उपमुख्यमंत्री पायलट ने कहा कि प्राचीन काल में हम सभी एक ही गंगोत्री से निकले हैं।

यहां 36 कौम अमन-चैन से रहती आई हैं। जोधपुर से लेकर गंगानगर तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक आपके समाज के बहनों - भाइयों ने मेहनत करके नाम कमाया है।

मुझे खुशी होती है, जब सरकारी नौकरी और बड़े-बड़े पदों पर समाज के बच्चे बैठते हैं।

जल जीवन मिशन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपराधिक क्रियाकलापों में शामिल होने का आरोप है। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में एक अन्य व्यक्ति के दिए गए बयानों के आधार पर आरोपी नहीं बनाया जा सकता। वहीं, महेश मित्तल की ओर से दी गई राशि के संबंध में भी अभियोजन के पास कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए आरोपी को जमानत दी जाए।

इसका विरोध करते हुए विभाग की ओर से कहा गया कि मामले की पत्रावली से महेश मित्तल को टेंडर दिलवाए जाने में मदद करने व मित्तल से 5.40 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने से संबंधित तथ्य सामने आया है।

मामले में पेश किए चालान से भी साबित है कि पी.एच.ई.डी. के अफसरों को रिश्वत देकर पदमचंद जैन व महेश मित्तल ने बिल पास करवाए। वहीं संजय बड़ाया के पिता के खाते में पदमचंद जैन, श्याम ट्यूयबवैल के खाते से 1.05 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। आरोपी खुद ही अपने पिता के खाते का संचालन करता था।

इस राशि से ही उसके पिता के नाम पर कीर्ति सागर योजना में दो भूखंड खरीदे थे। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

आखिरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जमानत दे दी थी, पर सी.बी.आई. के भ्रष्टाचार केस के कारण उन्हें रिहाई नहीं मिली थी। वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सी.बी.आई. प्रतिशोध के इरादे से काम कर रही है। कोर्ट ने सी.बी.आई. को पिंजरे का तोता कहा है। इसके बाद गृह मंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दो जज वाली बैंच ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं थी, कानून सम्मत थी। उनके खिलाफ आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता, बरी करने का सवाल ही नहीं है। ट्रायल चलेगा।'' भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी का भ्रष्ट डी.एन.ए. दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह सभी भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर जेल से छूटे हैं।

केन्द्र सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और निकोबार के योगदान को दर्शाता है।' उन्होंने कहा कि इस द्वीप का हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है।

दो वीडियो की अजीबो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने से उनका पैसा बच जायेगा।

श्रीनिवासन ने कहा, ''लोग कहते हैं कि वित्त मन्त्री ने मिठाइयों पर 5 प्रतिशत जी.एस.टी. तथा नमकीन पर 12 प्रतिशत जी.एस.टी. लगा दी है क्योंकि उत्तर में लोग मिठाई ज्यादा खाते हैं और तमिलनाडु में नमकीन, मिठाई तथा कॉफी लोकप्रिय हैं। कृपया एक समान जी.एस.टी. लगाएं क्योंकि जी.एस.टी. के इस कन्फ्यूज़न में, कम्प्यूटर भी हैंग हो जाता है।

इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब सत्ता में बैठे लोगों का नाज़ुक अहं आहत होता है, तो वे दूसरों का अपमान करते हैं।

बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने दो वीडियो शेयर किए हैं। उनमें से एक वीडियो 11 सितम्बर के उस कार्यक्रम का है, जिसमें अन्नपूर्णा चेन्स ऑफ रेस्टोरेन्ट्स के मालिक श्रीनिवासन कथित रूप से, जी.एस.टी. की अलग-अलग दरों पर चिन्ता व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में, श्रीनिवासन कथित रूप से वित्तमन्त्री से व्यक्तिशः क्षमा माँगते दिखाई दे रहे हैं।

इस बीच, तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने एक उद्यमी की सीतारमण के साथ हुई निजी बातचीतों को शेयर करने के लिए क्षमा याचना की। अन्नामलाई ने 'एक्स' पर लिखा, ''तमिलनाडु भाजपा की ओर से, मैं अपने उन पदाधिकारियों के कार्यों के लिए पूरी ईमानदारी से माफी माँगता हूं, जिन्होंने एक सम्मानित व्यवसायी तथा हमारी माननीय वित्तमन्त्री के बीच हुई निजी बातचीत को शेयर किया। मैंने अन्नपूर्णा चेन ऑफ रेस्टोरेन्ट्स के सम्मानीय मालिक तिरू श्रीनिवासन एवल से बातचीत की तथा निजता के इस गैर इरादतन उल्लंघन के लिए अफसोस व्यक्त किया।''

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी तथा राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक की घटक द्रमुक ने राहुल गांधी की पोस्ट को ही 'एक्स' पर रीपोस्ट किया। द्रमुक सांसद तथा पार्टी की उपमहासचिव कनिमोई ने केन्द्र की भाजपा सरकार तथा केन्द्रीय मन्त्रियों को चेताया कि वे तमिलों के आत्मसम्मान का उपहास न करें।

तीसरी पीढ़ी के उद्यमी तथा कोयम्बटूर की प्रमुख हस्ती के ''अपमान'' की निन्दा करते हुए, अन्नाद्रमुक प्रवक्ता कोवई सत्यन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि माफी माँगने का सार यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार सत्ता के मद में किस हद तक मतवाली हो गई है। उन्होंने कहा, ''अहंकार की पराकाष्ठा विनाश का प्रतीक है।''

गहलोत सरकार के सब्सिडी झांसे का शिकार हुए प्रदेश के 600 से ज्यादा छोटे किसान

एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने और मेगा फूड पार्क बनाने के लिए इन किसानों ने बैंकों से ऋण लेकर करोड़ों रु. के प्लांट लगा दिए, लेकिन बीते 5 साल में उन्हें सब्सिडी नहीं मिली

- पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने वर्ष 2019 में घोषणा की थी कि, अगर कोई किसान स्वयं का प्लांट या मशीनरी लगाता है तो उसे 1 करोड़ रु. तथा व्यवसायी को 50 लाख रु. की आर्थिक सहायता दी जायेगी, लेकिन कृषि विभाग और जिला व राज्य स्तरीय कमेटी के विवाद में 600 से ज्यादा किसान फंसकर रह गए।
- गहलोत सरकार ने अपने आखिरी दिनों में किसानों की इस नाराजगी को भांपते हुए सितंबर-2023 में बैठक बुलाकर आवेदकों को सब्सिडी देने का वादा किया, पर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से किसान राहत का इंतजार करते रह गए
- अब राजस्थान में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद सब्सिडी से वंचित रहे किसानों ने सरकार को पत्र लिखकर राहत देने की मांग की है।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 13सितम्बर । पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने वर्ष 2019 में कृषि क्षेत्र में एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने, उनके नवीनीकरण और मेगा फूड पार्क बनाने, जिससे किसानों को बाजार से सीधे तौर पर जोड़ने में मदद हो, के लिए उद्योगों व किसानों को सब्सिडी देने के लिए नीति बनाई थी। इसके तहत उद्योगपतियों और किसानों को एक करोड़ रु. तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया था। इसके बाद राजस्थान में करीब 1000 से अधिक आवेदकों ने यह प्लांट स्थापित करने के लिए आवेदन किया था और नई यूनिट्स भी लगाई थी। परंतु इनमें से करीब 600 लोगों को कोई ''कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी'' नहीं मिली।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2019 में घोषणा की गई थी कि, मेगा फूड पार्क के लिए प्लांट और मशीनरी स्थापित करने पर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई किसान स्वयं प्लांट या मशीनरी लगाता है तो उसे 1 करोड़ तथा व्यवसायी को 50 लाख रु. की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था।

गौरतलब है कि इस नीति के अनुसार सब्सिडी की राशि 3 किश्तों में दी जानी थी। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जिला स्तरीय स्क्रीनिंग व अनुमोदन कमेटी को पेश करने पर प्रथम किश्त में 40 प्रतिशत राशि बतौर एडवांस दी जानी थी। दूसरी किश्त में 40 प्रतिशत रकम मशीन व प्लांट की जानकारी देने, बैंक सर्टिफिकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र समेत कुछ अन्य दस्तावेज पेश करने के बाद दी जानी थी। शेष 20 प्रतिशत राशि की अंतिम किश्त शेष कागजी कार्रवाई के बाद दी जानी थी।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एक नोडल ऑफिसर बनाया था, जिसे आवेदक उद्योगपतियों व किसानों के दस्तावेज 15 दिन में जांचकर जिला स्तरीय कमेटी को देने थे। इस नीति के मुताबिक जिला स्तरीय कमेटी को दस्तावेज जांच के 60 दिन के भीतर यह सब्सिडी राशि जारी करनी थी। अगर यह राशि जारी नहीं होती है तो इसकी अपील राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष किए जाने का प्रावधान था। लेकिन पिछले करीब 5 सालों से 600 से ज्यादा आवेदक, कृषि विभाग के आला अधिकारियों तथा जिला व राज्य स्तरीय कमेटी के बीच फंस गए हैं।

इन 600 आवेदकों में से करीब आधा दर्जन किसानों व उनकी संस्थाओं ने मुख्य सचिव, कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव समेत राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की शिकायत भी दर्ज की है।

नसीराबाद के गांव दिलवाड़ी के शिकायतकर्ता रघुनाथ चौधरी, जो कि मौफतजी डेयरी के संचालक है, ने कहा है कि उनका आवेदन ''किसान श्रेणी'' के बजाय ''गैर किसान श्रेणी'' में डाल दिया गया है। इस कारण उसको जो राहत मिलनी थी, वह नहीं मिली। रघुनाथ का कहना है कि उसकी संस्था ने 2.25 करोड़ रु. का प्लांट लगाया, जिसमें से उसने 1.15 करोड़ रु. बैंक से ऋण लिया। इस संस्था में 8 लोग काम करते हैं, और एक हजार किसान जुड़े हुए हैं।

इसी प्रकार अजमेर के शिकायतकर्ता भगवती इंडस्ट्रीज़ के संचालक मनोज चांदनानी का कहना है कि, उसने ग्वांर गम स्प्लिट प्लांट लगाया है, जिसमें 1.40 करोड़ रु. की लागत आई। हमने 77 लाख रु. का बैंक से ऋण लिया था, हमारे साथ 8 लोग काम करते हैं, परंतु हमें आज तक कोई सब्सिडी राशि नहीं मिली। इसके कारण हमारी संस्था आर्थिक तंगी से जूझ रही है।

अजमेर में किशनगढ़ के उदयपुर कलां गांव की मनन इडस्ट्रीज के संचालक मयंक पारीक का कहना है कि, उन्होंने पशु चारा (कैटल फीड) बनाने का प्लांट लगाया, जिसमें 1.44 करोड़ रु. का निवेश किया। बैंक से 63.50 लाख रु. का ऋण लिया था, लेकिन आज तक कोई सब्सिडी नहीं मिली। इस कारण उन्हें भारी आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है।

जयपुर के नजदीक चौमूं के गोविंदगढ़ गांव में आदिनाथ एग्रो प्रोडक्ट्स कंपनी के संचालक सचिन जैन का कहना है कि, उन्होंने मूंगफली का तेल निकालने की मशीन का प्लांट लगाया, जिसमें 6.20 करोड़ का निवेश किया। इसके लिए बैंक से 3.40 करोड़ रु. का ऋण लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने कोई सब्सिडी नहीं दी।

टोंक जिले के निवाई में सुरेश एडिबल इंडस्ट्रीज की संचालक प्रीति सिंघल का कहना है कि, उसने मूंगफली के तेल निकालने और कच्ची मूंगफली छंटनी का प्लांट लगाकर 1.70 करोड़ रु. का निवेश किया, इसके लिए 1.05 करोड़ रु. का बैंक से ऋण लिया।

निवाई में श्री ऋषभ प्रोडक्ट के संचालक शंभु कुमार जैन का कहना है कि, उसने ऑयल मिल के लिए 2.36 करोड़ रु. का निवेश किया, बैंक से 1.55 करोड़ रु. का ऋण लिया था। इस मिल में 22 लोग काम करते हैं, हमें कोई सब्सिडी नहीं मिली।

बूंदी के गांव रघुवीरपुरा में ज्योति एग्रो फूड्स की संचालक लक्ष्मी तोतला ने बताया कि, एग्रीकल्चर वेयर हाऊस (कृषि उपज गोदाम) के लिए उन्होंने 1.23 करोड़ रु. का निवेश किया, जिसके लिए 90 लाख रु. का बैंक ऋण लिया था। इसके बावजूद राज्य सरकार से सब्सिडी राशि नहीं मिलने के कारण वह आर्थिक तंगी से जूझ रहीं हैं।

इन सभी आवेदकों का कहना है कि, सितंबर-2023 में राज्य सरकार के अधिकारियों ने उनके साथ बैठक की थी और आश्वासन दिया था कि सब्सिडी जल्द ही जारी की जायेगी। पर कुछ नहीं मिला। सूत्रों का कहना है कि गत सितंबर 2023 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

मजेदार बात यह है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही वर्ष 2019 में यह पॉलिसी बनाई थी, लेकिन सरकार के आखिरी समय तक आवेदकों को सब्सिडी राशि जारी नहीं होना उनके झांसे को दर्शाता है।

गौरतलब है कि ''कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी'' की तीन किश्तें मिलने के बाद आवेदकों को टर्म लोन, बिजली शुल्क और सोलर प्लांट सब्सिडी के लिए भी आवेदन करना था, लेकिन यह मामला प्राथमिक स्तर पर ही अटक जाने के कारण इन आवेदकों को आगे मिलने वाली रियायतें भी नहीं मिल पायी।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद इन आवेदकों ने न्याय की मांग करते हुए जून-2024 में शिकायती पत्र लिखे हैं, जिनमें आवेदकों ने गहलोत सरकार के सब्सिडी के नाम पर दिए गए झांसे का दर्द साफ बयां किया है। इनकी मांग है कि भाजपा सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देकर सब्सिडी राशि जारी करे। इन आवेदकों का कहना है कि भले ही हमारे उद्योग व संस्थाएं छोटी हैं, इनमें प्रत्यक्षत 10-15 लोग ही काम करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख किसान इससे जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा सब्सिडी राशि जारी नहीं करना इन सभी लोगों के साथ अन्याय होगा।

हालांकि कृषि विभाग ने इन शिकायतों को सुना है और अधिकारियों का कहना है कि कृषि विभाग जल्द ही ''राजस्थान एग्रीकल्चर पॉलिसी-2024'' का गठन कर रही है, जिसमें पुराने आवेदकों को राहत देने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908